तत्काल/महत्वपूर्ण

संख्या-47/2015/73 भास0/60-1-15/1/13(45)/15

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई 2015**

विषय- बच्चों के दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के अनुपालन सम्बन्धी मार्गदर्शिका 2015 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-18-06/2014-CW-II, दिनांक 23.09.2015 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें बच्चों के दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के अनुपालन सम्बन्धी मार्गदर्शिका 2015 के निर्माण एवं उसके प्रभावी तिथि के बारे में उल्लेख किया गया है। अवगत कराना है कि उपरोक्त मार्गदर्शिका दिनंाक 01.08.2015 से सम्पूर्ण देश में प्रभावी हो जायेगी। यह मार्गदर्शिका भारत सरकार की वेबसाइट **www.wcd.nic.in** एवं **www.cara.nic.in** तथा महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 की वेब साइट **www.mahilakalyan.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने से सम्बन्धित जनपद में उक्त मार्गदर्शिका (संलग्न) के अनुपालन एवं इसके विषय में समुचित प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-47/2015/73 भा0स0(1)/60-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र दिनांक 23.07.2015 के सन्दर्भ में ।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उप निदेशक, कारा, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

3- निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0।

4- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

5- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।

6- समस्त जिला बाल संरक्षण इकाई, उ0प्र0, द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी।

7- समस्त अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, राजकीय बाल गृह एवं शिशु गृह, उ0प्र0 द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी।

8- समस्त बाल कल्याण समिति, उ0प्र0 द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी।

9- समस्त राजकीय एवं स्वैच्छिक विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी, उ0प्र0 द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।